



कार्यालय सचिवालय

अंतरराष्ट्रीय सर्वधर्म परिषद

International Council of Religions

वेबसाइट: www.icr-int.org

Ref No.: - ICR/2025/68294

Dated: - 16/11/2025

अधिसूचना

विषय: विश्व की समस्त धार्मिक एवं आध्यात्मिक परंपराओं के मध्य समरसता, सहिष्णुता तथा पारस्परिक सम्मान स्थापित करने हेतु 'सर्वधर्म समभाव: विश्व की विविध धार्मिक परंपराओं के बीच एकता का आधार' (Sarvadharm Sambhav: The Bedrock of Unity Among World's Diverse Faith Traditions) की आधिकारिक विधिक प्रख्यापना, दार्शनिक सिद्धांत संहिता तथा वैश्विक क्रियान्वयन दिशा-निर्देश।

अंतरराष्ट्रीय सर्वधर्म परिषद के संविधान के अनुच्छेद 1 (सार्वभौमिक सद्भाव एवं शांति स्थापना), अनुच्छेद 4 (सर्वधर्म समभाव का मूल सिद्धांत), संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार सार्वभौम घोषणा (UDHR) के अनुच्छेदों तथा शासी निकाय (Governing Council) एवं 'विश्व सर्वधर्म महासम्मेलन' के अंतरराष्ट्रीय धर्माचार्य मंडल के सर्वसम्मत संकल्प संख्या SS-40/2025 के अनुसरण में, **विश्व की समस्त उपासना पद्धतियों एवं पंथों के प्रति समान आदर, प्रेम व समदृष्टि स्थापित करने वाले शाश्वत सिद्धांत 'सर्वधर्म समभाव: विश्व की विविध धार्मिक परंपराओं के बीच एकता का आधार' को एतद्वारा विधिक रूप से अंगीकृत, विमोचित एवं वैश्विक स्तर पर अधिसूचित किया जाता है।**

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं विधिक प्राधिकार

- 1.1 यह अधिसूचना 'अंतरराष्ट्रीय सर्वधर्म परिषद सर्वधर्म समभाव एवं धार्मिक समरसता अधिसूचना, 2025' कहलाएगी।
- 1.2 यह विधिक सिद्धांत परिषद के समस्त 162 सदस्य राष्ट्रों, जोनल प्रभागों, राष्ट्रीय शाखाओं, शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक ट्रस्टों एवं शांति दूतों पर तत्काल प्रभाव से स्थायी नैतिक व प्रशासनिक संहिता के रूप में लागू होगा।
- 1.3 इस अधिसूचना का मुख्य अधिदेश विश्व भर में धार्मिक सहिष्णुता से आगे बढ़कर 'धार्मिक स्वीकृति, पारस्परिक समादर एवं समभाव' को नागरिक जीवन व वैश्विक शासन का आधार बनाना है।

2. 'सर्वधर्म समभाव' का दार्शनिक अर्थ एवं वैचारिक अधिष्ठान

परिषद यह स्पष्ट रूप से रेखांकित करती है कि 'सर्वधर्म समभाव' केवल एक राजनीतिक या कूटनीतिक शब्द नहीं, अपितु मानवता का सर्वोच्च आध्यात्मिक सत्य है:

1. समभाव की अवधारणा

- 'सर्वधर्म समभाव' का अर्थ सभी धर्मों को मिटाकर एक करना नहीं, अपितु प्रत्येक धर्म की अनूठी पहचान, पवित्रता और गरिमा का हृदय से सम्मान करते हुए सभी के प्रति समान दृष्टि रखना है।

2. सहिष्णुता (Tolerance) से स्वीकृति (Acceptance) की ओर:

- मात्र एक-दूसरे को 'सहन करना' (Tolerate) पर्याप्त नहीं है; सच्ची शांति तब स्थापित होती है जब हम अन्य धर्मों के सत्य, सौंदर्य एवं ज्ञान को आत्मिक रूप से स्वीकार और सम्मानित करते हैं।

3. नदी और समुद्र का शाश्वत रूपक:

- जैसे भिन्न-भिन्न दिशाओं से बहने वाली नदियां अंततः एक ही महासागर में समाहित होती हैं, वैसे ही समस्त धार्मिक साधनाएं अंततः एक ही परमात्मा, करुणा और सत्य तक पहुंचाती हैं।

3. विश्व की प्रमुख धर्म-परंपराओं में समभाव एवं एकता के प्रमाण

विश्व के समस्त प्रमुख धर्म-ग्रंथों में 'सर्वधर्म समभाव' के अंतर्निहित प्रमाण निम्नवत् हैं:

- सनातन परंपरा: 'रुचीनां वैचित्र्याद्भुजुकुटिलनानापथजुषां। नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव॥' – मनुष्यों की भिन्न-भिन्न रुचियों के अनुसार मार्ग चाहे सीधे हों या टेढ़े, सब अंततः आप तक ही पहुंचते हैं।
- इस्लाम दर्शन: 'लिकुल्लिन जाअल्ना मिनकुम शिरअतन व मिन्हाजा' – हमने तुममें से प्रत्येक समुदाय के लिए एक अलग मार्ग और विधि निर्धारित की है; यदि ईश्वर चाहता तो तुम्हें एक ही समुदाय बना देता, किंतु वह तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता है (कुरआन 5:48)।
- ईसाई परंपरा: 'ईश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है, वह उसको भाता है' (प्रेरितों के काम 10:34-35)।
- सिख परंपरा: 'कोई बोले राम राम कोई खुदाई, कोई सेवे गुसईआ कोई अलाहि। कारण करण करीम, किरपा धारि रहीम॥' – नाम और भाषाएं अलग हैं, किंतु कृपा करने वाला परमपिता एक ही है।
- जैन एवं बौद्ध दर्शन: 'अनेकांतवाद' एवं 'स्याद्वाद' – सत्य के अनंत पहलू हैं; किसी एक दृष्टिकोण को पूर्ण मानकर दूसरे का तिरस्कार करना अज्ञानता है।

4. सर्वधर्म समभाव के संवर्धन हेतु षट्-सूत्रीय कार्ययोजना

समस्त संबद्ध निकायों, शिक्षण संस्थाओं एवं उपासना स्थलों हेतु निम्नलिखित 6 विधिक दिशा-निर्देश अनिवार्य किए जाते हैं:

स्तंभ 1: 'साझा त्योहार एवं सौहार्द मिलन'

- प्रत्येक समुदाय द्वारा अपने प्रमुख धार्मिक पर्वों (दीपावली, ईद, क्रिसमस, प्रकाश पर्व, महावीर जयंती, बुद्ध पूर्णिमा आदि) पर अन्य सभी धर्मों के पड़ोसियों को आमंत्रित कर साझा सौहार्द सभाएं आयोजित करना।

स्तंभ 2: उपासना स्थलों में पारस्परिक सद्भाव एवं आतिथ्य:

- समस्त मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च अन्य धर्मों के जिज्ञासुओं एवं शांतिदूतों के स्वागत हेतु 'सद्भाव केंद्र' (Harmony Desks) स्थापित करेंगे।

स्तंभ 3: शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में 'तुलनात्मक धर्म-दर्शन' का समावेश:

- नई पीढ़ी में किसी भी धर्म के प्रति संकीर्णता समाप्त करने हेतु निष्पक्ष व सम्मानजनक धर्म-शिक्षा प्रदान करना।

स्तंभ 4: सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने वाले वक्तव्यों पर पूर्ण रोक:

- किसी भी धार्मिक मंच से किसी अन्य पंथ के देवी-देवताओं, पैगंबरों, संतों अथवा ग्रंथों का अपमान करना परिषद की नियमावली के तहत गंभीर कदाचार माना जाएगा।

स्तंभ 5: 'संयुक्त सर्वधर्म सेवा परियोजनाएं' (Joint Service Missions):

- आपदा राहत, पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण एवं चिकित्सा शिविरों का संचालन सभी धर्मों के युवाओं द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।

स्तंभ 6: 'सर्वधर्म समभाव शांति दूत' अलंकरण:

- विभिन्न समुदायों के मध्य सेतु का कार्य करने वाले समर्पित विचारकों व सामाजिक कार्यकर्ताओं को वार्षिक राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय सम्मान प्रदान करना।

5. राष्ट्रीय एवं प्रांतीय समभाव प्रकोष्ठ का गठन (National & State Sambhav Cells)

5.1 प्रत्येक राज्य एवं राष्ट्रीय चैप्टर में एक 7-सदस्यीय 'सर्वधर्म समभाव समन्वय प्रकोष्ठ' का गठन 30 दिवस के भीतर किया जाएगा, जिसमें सभी प्रमुख धर्मों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

5.2 यह प्रकोष्ठ स्थानीय स्तर पर किसी भी सांप्रदायिक गलतफहमी या तनाव की स्थिति में त्वरित संवाद स्थापित कर शांति बहाल करेगा।

भवदीय,



अधिकृत प्रतिनिधि/विधि प्रकोष्ठ
अंतरराष्ट्रीय सर्वधर्म परिषद

दिनांक: 16 / 11 / 2025



अधिकृत प्रतिनिधि/विधि प्रकोष्ठ
अंतरराष्ट्रीय सर्वधर्म परिषद